भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3599

11.08.2025 को उत्तर के लिए

विस्थापित समुदायों का पुनर्वास

3599. श्री अधिकारी दीपक देव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) जलवायु जनित आपदाओं के कारण विस्थापित समुदायों के लिए पुनर्वास एवं प्रतिपूर्ति तंत्र क्या हैं; और

(ग) वनवासियों एवं मूलनिवासी समुदायों की आजीविका की सुरक्षा हेतु क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

क) सरकार जल और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) को क्रियान्वित कर रही है। एनएमएसए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत एक मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को बदलती जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना तथा कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और संवर्धन करना था।

कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती को ध्यान में रखते हुए, देश भर में कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे- प्रति बूंद अधिक फसल, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आदि।

ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा अभिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और यथा अपेक्षित संभारण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा अभिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी। वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें अधिकृत करने के लिए संसद द्वारा "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए)" अधिनियमित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं भी शामिल हैं, जैसे "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास"।

****